संख्या- 6/2017 /जी-2- 68 /दस-2017-307/2006

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उ0प्र0शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 05 मई, 2017

विषय: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते से संबंधित वर्षवार कुल जमा/आहरण/उस पर देय ब्याज के आंकड़े/अंतिम अवशेष की सूचना महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय**,**

शासन स्तर से समय-समय पर निर्गत पार्श्वांकित शासनादेशों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते से संबंधित वर्ष वार कुल जमा/आहरण/देय ब्याज के आंकड़े तथा अंतिम अवशेष की सूचना निर्धारित प्रारूप पर सांख्यकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के माध्यम से कार्यालय महालेखाकार को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं, किन्तु कार्यालय महालेखाकार द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भविष्य निधि के वास्तविक शेष धनराशि उपलब्ध न होने के कारण महालेखाकार कार्यालय द्वारा इन पर तदर्थ ब्याज की राशि ही आगणित कर वित्त लेखे में प्रदर्शित की जाती है जिससे वित्त लेखे की पारदर्शिता प्रभावित होती है। आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा वॉछित आंकडे/सूचना सांख्यकीय निदेशालय/महालेखाकार कार्यालय को समय से उपलब्ध न कराया जाना उचित नहीं कहा जा सकता है।

1-संख्या-जी-2-1074/दस-2007-307/2006, दि0 31-07-2007
2-संख्या-जी-2-1921/दस-2007-307/2006, दि0 17-12-2007
3-संख्या-जी-2-1118/दस-2008-307/2006, दि0 09-09-2008
4-संख्या-जी-2-1076/दस-2009-307/2006, दि0 21-08-2009
5-संख्या-जी-2-27/दस-2011-307/2006, दि0 18-01-2011
6-संख्या-जी-2-317/दस-2012-307/2006, दि0 12-09-2012
7-संख्या-9/2016/जी-2-135/दस-2016-307/2006, दि0 25-10-2016

2- अतः इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप कृपया अपने स्तर से अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों को यह निर्देशित कर दें कि वे उपरोक्त शासनादेश में समय-समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्षवार कुल जमा/आहरण/देय ब्याज के आंकडे एवं अंतिम अवशेष की सूचना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्धारित प्रारूप पर सांख्यकीय निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन,लखनऊ को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि निदेशक, सांख्यकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा समस्त विभागों से प्राप्त सूचना को समेकित कर कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित हो सके।

उपरोक्त निर्देशों का कृपया कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव

संख्या- 6/2017 /जी-2- 68 (1)/दस-2017-307/2006, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2. प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

4 स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

5. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

6. निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

7. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

अर्जुन सिंह

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in